पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

पंत भवन, सातवां तल्ला, नेहरू पथ,
पटना–800001

पत्रांकः– PMAA/PRN/$\frac{SHEKPURA}{PHULWARI}$/B+G+06/60/2024 – 244 – पटना, दिनांक– 11.02.2025

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री सीतेश रमण,
प्रबंध निदेशक–रमण एण्ड कुमार कंसट्रक्सन लि०,
पिता–स्व० सत्यनारायण प्रसाद,
कार्यालय–एफ 90, पी० सी० कॉलोनी,
कंकड़बाग, जिला–पटना–800020.

विषयः– प्लान केस संख्या– PMAA/PRN/$\frac{SHEKPURA}{PHULWARI}$/B+G+06/60/2024 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०– PMAA/PRN/$\frac{SHEKPURA}{PHULWARI}$/B+G+06/60/2024 है, जिसका प्रोजेक्ट नाम–**"माला देवी टावर"** का दिनांक–03.09.2024 के संदर्भ में **श्री सीतेश रमण, प्रबंध निदेशक–रमण एण्ड कुमार कंसट्रक्सन लि०,** पिता–स्व० सत्यनारायण प्रसाद के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा–शेखपुरा, सर्वे थाना–फुलवारी शरीफ, थाना सं०–111, सर्वे प्लॉट सं०–517(अंश), खाता सं०–134 में आवासीय भवन पर (B+G+06), दिनांक–18.01.2025 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

2. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

3. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

4. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 1100.51 वर्गमीटर का बेसमेन्ट एवं ग्राउण्ड पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपविधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।

5. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

6. भूखण्ड के पूरब में 10.50मी० से 12.20मी० चौड़ी वर्तमान सड़क अवस्थित है। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 45.0मी० चौड़ी सड़क से प्रभावित भूखण्ड का रकबा 1155.38 वर्गमीटर है, जिसे आवेदक द्वारा छोड़कर ही चाहरदीवारी का निर्माण करना होगा।

7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से पाँच वर्षो की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

(175) (61) 296

निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

☎ 0612–2330035

✉ sfocumdirector-bih@gov.in

पत्रांक 13984

दिनांक 31/12/2024

File No.- 134/2024

प्रपत्र–ड़

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत)

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सितेश रमण,
निदेशक–
M/s Raman & Kumar Construction

आवेदनकर्त्ता वास्तुविद्, नवरत्न रघुवंशी (विशिष्ट आई.डी.नं0 **CA/2013/58586**)

विषय :– **भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।**

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्त्ता **सितेश रमण** के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियममावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम **M/s Raman & Kumar Construction, निदेशक–सितेश रमण, पिता–स्व0 सत्यनारायण प्रसाद, प्लॉट नं0–517पी, खाता नं0–134, तौजी नं0–611, थाना नं0–111, थाना–फुलवारीशरीफ, मौजा–शेखपुरा, जिला–पटना,** अधिभोग **आवासीय,** उप श्रेणी **आवासीय,** भवन की ऊँचाई **21.34** (मीटर में) फर्श क्षेत्र **4417.96** वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या **6**, तलघर की संख्या **1**, स्लिट/भूतल की संख्या **1**, भवन के ब्लॉक की संख्या **1**, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार **35**, लिफ्ट की संख्या **2**, फायर लिफ्ट की संख्या **1**, रैम्प की संख्या **2**, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या **0**, फायर टावर की संख्या **1** है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा–निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद्/भवन निर्माणकर्त्ता/भू–स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :–

(1) भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर **4.59** मी0, दक्षिण **12.33** मी0, पूर्व **7.64** मी0, पश्चिम **4.51** मी0) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या **1**, चौड़ाई **2.44** (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या **1**, चौड़ाई **2.30** (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच–

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/ विनियमन/ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।